HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9886/2025

Ms Roshan Bangarva D/o Shree Baksharam W/o Dinesh Chaudhary, Aged About 31 Years, R/o Birampura Mundiyagarh, Police Station Rainwal, District Jaipur, Rainwal Karad Road, Kishangarh Rainwal Posted As Professor, Economics Government Higher Secondary School, Basni, District Nagaur, Rajasthan. (Present Lodged In Mahila Sudhar Karagrah Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9887/2025

Om Prakash S/o Ramdev Gurjar, Aged About 46 Years, R/o Village Kabra, Police Station Mehandwas, District Tonk, Presently Residing At 245A, Mahavir Nagar, Police Station Kotwali, Tonk, Working As Junior Engineer, Public Works Department, Shahpura, District Bhilwara At Present Lodged In The Central Jail, Jaipur.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10057/2025

Deepak Lakshkar @ Vishnu S/o Mahesh Chand, Aged About 27 Years, R/o Plot No. 7 Mal Ki Dhani, Sunita Colony, Sanganer, Police Station, Malpura Gate, District Jaipur. (Presently Confined In District Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10058/2025

Kavita Lakhera D/o Maheshchand Lakhera W/o Shri Shyamsundar Lakhera, Aged About 35 Years, R/o Plot No. 7,

Maal Ki Dhani, Sunita Colony, Sanganer, Police Station Malpura Gate, District Jaipur, Rajasthan And Plot No. 283-284, Tiwari Nagar, Madrampura, Sanganer, Police Station Muhana, Jaipur Currently Professor Economics (School Examination), Government Higher Secondary School, Jalia First Block Jawaja, District Beawar, Rajasthan. (At Present Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10247/2025

Gopal S/o Chotharam, Aged About 35 Years, R/o Pananiyon Ki Dhani, Nedi Naadi, Tehsil Dhorimana, P.s. Dhorimana, Distt. Barmer, Currently Professor Economics, (School Education), Government Higher Secondary School, Arniyali, Dhorimana, Distt. Barmer. (Presently Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10721/2025

Ms. Vaidehi Meena D/o Shree Harisingh W/o Shree Vishambhar, Aged About 34 Years, R/o Brahmabaad, Tehsil Sikray, District Dausa, Also At Meena Colony, Hindon City, Ps Hindon City District Karolli Posted As Professor, Economics, Government Higher Secondary School, Jasma, Block, Bhopal Sagar, District Chittorgarh, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11026/2025

Omprakash S/o Shri Udaram, Aged About 29 Years, R/o Bheemsagar, Tehsil Osian, District Jodhpur. Currently Residing At Professor At Economics Government Senior Secondary School Panchodi, Police Station Panchodi, District Nagaur. (At Present

Confined At Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajesh Maharshi with Mr. Prashant Dubey Mr. Puneet Maharshi Mr. Ashvin Garg Mr. Rajneesh Gupta Mr. Gajveer Singh Rajawat Mr. Prince Pal Singh Mr. Mahendra Shandilya with Mr. Munesh Kumar Meena Mr. Ajay Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, PP Mr. Mahaveer Singh, Add. SP, SOG

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order Reserved on : 19/09/2025

Pronounced on : 23/09/2025

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक्–पृथक् जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– स्पेशल पुलिस थाना–एसओजी जिला– एटीएस एवं एसओजी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 18/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 120बी भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 2(च)(ii), 3, 4, 6, 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 में पेश किए गए हैं।

विद्वान् अधिवक्तागण प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रोशन बांगड़वा, ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर, गोपाल, वैदेही मीणा और ओमप्रकाश पुत्र उदाराम का कथन है कि प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 420, 120बी आईपीसी व धारा 2(च)(ii), 3, 4, 6, 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत झूठा संबद्ध

किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में इस प्रकार की कोई सारभूत साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा संकलित नहीं की गई है, जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने वर्ष 2022 में आरपीएससी द्वारा आयोजित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा, 2022 में परस्पर एक–दूसरे से संपर्क कर भारी राशि प्राप्त कर उक्त परीक्षा के पेपर्स अभ्यर्थी वैदेही मीणा, रोशन बांगड़वा, ओमप्रकाश पुत्र उदाराम, गोपाल को उपलब्ध कराए गए हों। उनका तर्क है कि सहअभियुक्ता कविता के कथनों के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गोपाल, वैदेही मीणा, रोशन बांगड़वा, ओमप्रकाश पुत्र उदाराम को प्रकरण में संबद्ध किया गया है। परीक्षा आयोजित होने से पूर्व उक्त परीक्षा के पेपर्स लीक हो गए हों और उन्हें अभ्यर्थियों को पढ़ाया गया हो, इस संदर्भ में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य उक्त अभ्यर्थियों व अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र रामदेव के संदर्भ में अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त सुमेर बिश्नोई की जमानत याचिका इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 30.07.2025 को स्वीकार की जा चुकी है। उक्त सहअभियुक्त सुमेर बिश्नोई के संबंध में भी मुख्यतः यही आक्षेप थे कि उसके द्वारा अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा आयोजित होने से पूर्व पेपर पढ़ाए गए थे। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रोशन बांगड़वा, ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर, गोपाल, वैदेही मीणा और ओमप्रकाश पुत्र उदाराम क्रमशः दिनांक 11.07.2025, 19.05.2025, 22.06.2025, 11.07.2025, 11.07.2025 से अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है तथा प्रकरण में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

प्रार्थिया/अभियुक्ता वैदही मीणा की ओर से यह अतिरिक्त तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह गर्भवती है और ग्यारहवें महीने में उसकी डिलिवरी होनी है, साथ ही प्रार्थी/अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर की ओर से यह तर्क भी दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त की अन्य सहअभियुक्त दीपक लक्षकार, जिसकी बहन कविता लखेरा का उक्त परीक्षा में चयन हुआ था, उससे मोबाइल नंबर 76150XXXXX से दिनांक 14.09.2023, 16.09.2023, 18.09.2023, 14.12.2023 और एक अन्य मोबाइल नंबर 85605XXXXX से

दिनांक 11.12.2023, 12.12.2023, 24.12.2023, 17.03.2024, 01.04.2024, 02.04.2024 एवं 16.06.2024 को वार्ता होना बताया गया है, परंतु उक्त समस्त वार्ताएं कविता लखेरा के परीक्षाफल के घोषित होने के उपरांत की हैं। अतः इस प्रकार की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कविता लखेरा को दीपक के माध्यम से पेपर परीक्षा से पूर्व उपलब्ध कराया हो और उसकी एवज में कोई राशि प्राप्त की हो। इसी प्रकार कविता लखेरा द्वारा भी प्रार्थी/अभियुक्त से मोबाइल पर 11 बार वार्ता होना बताया गया है और वह वार्ताएं भी परीक्षाफल के घोषित होने के उपरांत की हैं। अन्य सहअभियुक्त सुमेर बिश्नोई से जो वार्ताएं 74 बार होना दर्शित किया गया है, वह भी आरपीएससी द्वारा जब परीक्षाफल घोषित किया गया, उसके उपरांत की हैं। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में दिनांक 28.04.2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, और दिनांक 13.05.2022 को कविता लखेरा द्वारा उक्त पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया था और दिनांक 15.10.2022 एवं 16.10.2022 को सामान्य ज्ञान एवं अर्थशास्त्र की परीक्षाएं आयोजित हुई हैं। दिनांक 23.05.2023 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 142 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की गई है व दिनांक 05.10.2023 को कविता को पदस्थापन दिया गया और दिनांक 07.10.2023 को उसने अर्थशास्त्र व्याख्याता के पद पर कार्यग्रहण किया है। अतः उक्त वार्ताओं का प्रार्थी/अभियुक्त से कोई संबंध नहीं है और वह सभी वार्ताएं परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत की हैं। प्रकरण में अन्य समकक्ष अभियुक्त सुमेर बिश्नोई की जमानत याचिका इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है एवं प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण उक्त अभियुक्त के प्रकरण से भिन्नता रखते हुए नहीं है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदनों का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर व अन्य सहअभियुक्तगण सुमेर बिश्नोई व गणपत के द्वारा परस्पर षड़यंत्र कारित करते हुए उक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा आयोजित होने से पूर्व

प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया गया है और इसके आधार पर अभ्यर्थीगण कविता, रोशन बांगड़वा, ओमप्रकाश पुत्र उदाराम, गोपाल, वैदेही मीणा उक्त परीक्षा में चयनित हुए हैं। उनका तर्क है कि प्रकरण में ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर व सुमेर बिश्नोई की वार्ता भी प्राप्त की गई है एवं उसकी ट्रांसक्रिप्ट अभी तक एफएसएल में होने के कारण प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और उक्त वार्ता को दीपक के मोबाइल से जब्त करने के उपरांत उसकी पेनड्राइव प्राप्त की गई है और पेनड्राइव में जो ऑडियो रिकार्डिंग है, उससे यह स्पष्ट है कि दीपक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त ओमप्रकाश व सुमेर बिश्नोई से व्हॉट्सएप कॉल पर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता की गई है और उक्त वार्ता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख आया है कि ओमप्रकाश व सुमेर बिश्नोई कविता का चयन होने के उपरांत उन्हें देय राशि 9,00,000/– रुपये की मांग कर रहे हैं और सुमेर बिश्नोई व ओमप्रकाश द्वारा इस संदर्भ में सौदा कुल 30,00,000/– रुपये में तय होना स्पष्ट रूप से सामने आया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन अस्वीकार किए जाएं।

प्रकरण में संबंधित अनुसंधान अधिकारी आज न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं और उनके द्वारा यह बताया गया है कि प्रकरण में उक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग एफएसएल में लंबित होने के कारण अभियोग पत्र के साथ संलग्न कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जैसे ही एफएसएल से उक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त होगी, तो उसे उसकी ट्रांसक्रिप्ट सहित न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जहां तक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रोशन बांगड़वा, गोपाल, वैदेही मीणा व ओमप्रकाश पुत्र उदाराम को परीक्षा आयोजित होने से पूर्व प्रश्नपत्र प्राप्त होने और उक्त प्रश्नपत्रों को पढ़कर उक्त परीक्षा में उनके चयनित होने का प्रश्न है, इस संदर्भ में उक्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के संदर्भ में अन्य सहअभियुक्तगण की सूचना के अतिरिक्त अन्य कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण में प्रार्थिया/अभियुक्ता कविता द्वारा अपने धारा 23(2)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो सूचना दी गई है, वह प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के संदर्भ में पढ़े जाने योग्य नहीं है और वह उन्हीं परिस्थितियों में पढ़ी जा सकती है, जबकि उसकी पुष्टि में कोई सारभूत साक्ष्य उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रोशन बांगड़वा व गोपाल के संदर्भ में यह तथ्य दर्शित किया गया है कि इनके द्वारा क्रमशः रजनीश व श्रवण नामक व्यक्तियों के माध्यम से राशि अदा कर प्रश्नपत्र प्राप्त किए हैं और प्रश्नपत्र पढ़ने के उपरांत उक्त दोनों अभ्यर्थी परीक्षा में चयनित हुए हैं, इस संदर्भ में उक्त दोनों प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के संदर्भ में अन्य व्यक्ति रजनीश व श्रवण से उनकी वार्ता की कॉल डिटेल्स संकलित हुई हैं, परंतु उक्त कॉल डिटेल्स से यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त वार्ताएं किस संदर्भ में हैं। इसी प्रकार उक्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की कोई वार्ता अभियुक्तगण ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर, गणपत या सुमेर बिश्नोई से हुई हो, यह तथ्य अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रोशन बांगड़वा, गोपाल, वैदेही मीणा व ओमप्रकाश पुत्र उदाराम के जमानत आवेदनों को स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

जहां तक प्रार्थी/अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर का प्रश्न है, न्यायालय के समक्ष जो पेनड्राइव उक्त वार्ता के संदर्भ में प्रस्तुत की गई है, उसे न्यायालय द्वारा सुना गया है और उक्त वार्ता में यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया है कि सहअभियुक्त दीपक की बहन कविता का परीक्षा में चयन कराने हेतु परस्पर दीपक, ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर एवं सुमेर बिश्नोई की वार्ता हुई है और उस वार्ता में उनके द्वारा राशि की मांग दीपक से की जा रही है और दीपक द्वारा उक्त राशि अन्य सहअभियुक्त गणपत को दिया जाना उल्लेखित किया जा रहा है, जिसका खंडन करते हुए ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर एवं सुमेर बिश्नोई दोनों यह कह रहे हैं कि सौदा हमसे तय हुआ था और 30,00,000/– रुपये की बात हुई थी, 9,00,000/– रुपये ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर को देने हैं। इसके अतिरिक्त सहअभियुक्तगण दीपक व कविता

की गणपत से भी वार्ता है और वह वार्ता भी सहअभियक्ता कविता के उक्त परीक्षा में चयनित होने के उपरांत की है, जिसमें वह स्पष्ट रूप से गणपत को उसके चयन के लिए उल्लेखित कर रही है और अन्य अभ्यर्थी के अर्थशास्त्र की परीक्षा में कितने अंक आए हैं, इसका भी विवरण दे रही है। इस प्रकार उक्त वार्ताएं परस्पर यदि साथ–साथ पढ़ी जाती हैं, तो निश्चित रूप से प्रार्थी/अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर की उक्त परीक्षा में भूमिका उजागर होती है और यह तथ्य प्रकट होता है कि ओमप्रकाश द्वारा आरपीएससी की उक्त परीक्षा से पूर्व प्रश्नपत्र अभ्यर्थी कविता को उपलब्ध कराया गया है तथा कविता का चयन इसके आधार पर उक्त परीक्षा में हुआ है और उक्त संदर्भ में पक्षकारों के मध्य पैसों का लेन–देन होना भी सामने आया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं समझता हूँ।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दीपक लक्षकार एवं कविता लखेरा के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दीपक का उक्त परीक्षा से कोई संबंध नहीं है एवं प्रकरण में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदनों का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थिया/अभियुक्ता कविता लखेरा द्वारा आरपीएससी द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में भाग लिया गया था और अन्य सहअभियुक्त गणपत से प्रार्थिया/अभियुक्ता कविता लखेरा की वार्ता तथा प्रार्थी/अभियुक्त दीपक की अन्य सहअभियुक्तगण ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर व सुमेर बिश्नोई से हुई वार्ता से यह स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता कविता लखेरा द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए उक्त परीक्षा में चयन

प्राप्त किया गया है और प्रार्थिया/अभियुक्ता कविता लखेरा द्वारा इस संदर्भ में अपने भाई दीपक के माध्यम से अन्य सहअभियुक्तगण सुमेर बिश्नोई, ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर व गणपत को राशि अदा की गई है। इसके अतिरिक्त दीपक के मोबाइल फोन से उक्त समस्त वार्ताएं बरामद हुई हैं और उक्त वार्ताओं में से अन्य सहअभियुक्त गणपत व प्रार्थिया/अभियुक्ता कविता लखेरा की वार्ता अभिलेख पर उपलब्ध है तथा शेष वार्ताओं के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष पेनड्राइव प्रस्तुत की गई है और उसके संदर्भ में एफएसएल की रिपोर्ट आने पर मुख्य ट्रांसक्रिप्ट को संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अतः उक्त दोनों प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन अस्वीकार किए जाएं।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थिया/अभियुक्ता कविता लखेरा प्रार्थी/अभियुक्त दीपक लक्षकार की बहन है और कविता लखेरा का चयन उक्त परीक्षा में हुआ है। इस संदर्भ में अन्य सहअभियुक्त गणपत एवं प्रार्थिया/अभियुक्ता कविता लखेरा की वार्ता तथा प्रार्थी/अभियुक्त दीपक की सहअभियुक्तगण ओमप्रकाश व सुमेर बिश्नोई से हुई वार्ता से स्पष्ट रूप से यह तथ्य अभिलेख पर आया है कि कविता को उक्त परीक्षा आयोजित होने से पूर्व परीक्षा में जो प्रश्नपत्र आने थे, उनकी जानकारी हो गई थी और इस संदर्भ में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कविता लखेरा एवं दीपक लक्षकार द्वारा संयुक्त रूप से सहअभियुक्तगण ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर, सुमेर बिश्नोई व गणपत को राशि अदा की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दीपक लक्षकार व कविता लखेरा के जमानत आवेदनों को स्वीकार किए जाने योग्य नहीं समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. रोशन बांगड़वा पुत्री बक्शाराम, 2. गोपाल पुत्र चौथाराम, 3. वैदेही मीणा पुत्री हरिसिंह, 4. ओमप्रकाश पुत्र उदाराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं

जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. ओमप्रकाश पुत्र रामदेव गुर्जर, 2. दीपक लक्षकार उर्फ विष्णु पुत्र महेशचन्द, 3. कविता लखेरा पुत्री महेशचन्द लखेरा** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाते हैं।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महावीर सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष पेनड्राइव प्रस्तुत की गई है, उक्त पेनड्राइव को रजिस्ट्रार न्यायिक के समक्ष सील बंद स्थिति में सुपुर्द किया जाए और उक्त पेनड्राइव दीपक लक्षकार उर्फ विष्णु की पत्रावली का अभिन्न भाग रहेगी।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 17-23